(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस विषय में कुछ संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT 994/67]

(ग) जी हां।

हिन्दी में उत्तर

*1106. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री निहाल सिंह :
श्री शिव पूजन शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सोलहवें प्रतिवेदन में यह लिखा गया है कि एक उम्मीदवार को जिसने अपने उत्तर हिन्दी में लिखे थे उन प्रश्न-पत्रों में शून्यांक दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस कार्यवाही को उचित ठहराया है ;

(ग) यदि हां, तो संविधान का इस प्रकार उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिये सरकार का विचार अंग्रेजी के वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी को रखने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सदन के समा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये संख्या LT —995/67]

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने आयोग द्वारा ली जाने वाली सभी अखिल भारतीय तथा उच्चतर केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं को वैकल्पिक माध्यम के रूप में लागू करने का विचार किया है। यह कार्य परीक्षाओं की योजना प्रक्रिया सम्बन्धी पहलुओं तथा इस परिवर्तन को लागू करने के समय आदि के सम्बन्ध में आयोग की सलाह प्राप्त होने के बाद किया जाएगा।

अन्दमान द्वीप समूह में वेतन-क्रम तथा सेवा की शर्तें

*1109. डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री आत्म दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में विभिन्न पदों के वेतन-क्रम तथा सेवा-शर्तें मुख्य भूमि में समतुल्य पदों के वेतन-क्रमों तथा सेवा की शर्तों से भिन्न हैं;

(ख) क्या ये द्वीप समूह संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार में आते हैं; और